दिनांक : 25 जनवरी, 2014

विरोध करने का अधिकार

– अरुण जेटली
राज्य सभा में विपक्ष के नेता

शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार जायज राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा है। अभिव्यक्ति का एक तरीका विरोध करना है। निःसन्देह प्रत्येक नागरिक को असहमति का अधिकार है, विरोध असहमत होने का तरीका है।

क्या एक निर्वाचित सरकार के प्रमुख को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूछा है। एक निर्वाचित सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और उसके प्रमुख का कर्तव्य है कि वह संविधान के अनुसार शासन चलाए। अगर हम दिल्ली में एएपी सरकार ने जो कुछ किया उसकी विस्तृत छानबीन करें तो इस सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। मंत्री सचिवालय को छोड़कर आ गए। उन्होंने पुलिस को परेशानी में डाल दिया और ऐसी जगह पर धरने पर बैठ गए जहां इसकी इजाजत नहीं थी। उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। उन्होंने अपने समर्थकों को संदेश भेजकर बड़ी संख्या में एकत्र होने को कहा। उनके समर्थकों ने पुलिस के अवरोधकों को तोड़ने का प्रयास किया। सरकार के मुखिया ने अराजकता की वकालत की। उन्होंने पुलिसवालों से छुट्टी पर चले जाने, अपनी वर्दी छोड़ने और विरोध में शामिल होने को कहा। उन्होंने धमकी दी कि उनके लाखों समर्थक राजपथ की तरफ मार्च करके गणतंत्र दिवस परेड में बाधा पहुंचाएंगे। अगर दिल्ली पुलिस ने उनके आहवान के अनुरुप काम किया होता और अपनी ड्यूटी छोड़कर राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उनके समर्थकों के साथ धावा बोल दिया होता, तो क्या ये कहा जाता कि संविधान के अनुसार शासन किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब निश्चित रुप से 'ना'' है।

राजघाट पर धरने पर बैठना और पुलिसवालों से ये कहना कि अपनी ड्यूटी छोड़कर गणतंत्र दिवस परेड में बाधा पहुंचाएं, दोनों में काफी अंतर है। मुझे यकीन है कि श्री अरविंद केजरीवाल को इस बात को समझेंगे।

* * * * *